

Uttarakhand Minor Mineral (Amendment) Rules, 2013

This document is available at ielrc.org/content/e1322.pdf

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

उत्तराखण्ड शासन। औद्योगिक विकास अनुभाग−2 संख्याः /62_/VII-II-13 / 24—ख / 2007 देहरादूनः दिनांकः /ि जनवरी, 2013 अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 सपिठत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और 1. प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2013 है।

प्रथम अनुसूची का 2. संशोधन (2) यह इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में नीचे स्तम्भ 1 में दी गई विद्यमान प्रथम अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई अनुसूची रख दी जाएगी, अर्थात्:—

स्तम्म–1 (वर्तमान प्राविधान) (उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2000 का स्तम्म–2 प्रथम अनुसूची (नियम–21))		स्तम्म-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान) प्रथम अनुसूची (नियम-21)	
6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/ मिट्टी।		6. नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो), बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी।	44.00 प्रति टन।
8. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	25.00 प्रति टन। 45.00 प्रति घन मीटर	8. विहित प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	50.00 प्रति टन। 90.00 प्रति घन मीटर

2. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी द्वितीय अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी।

स्तम्भ–1 (वर्तमान प्राविधान) (उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2009 का स्तम्भ–2 द्वितीय अनुसूची (नियम–22))		स्तम्म-2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान) द्वितीय अनुसूची (नियम-22)	
3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)खण्डास/बोल्डर्स/बजरी/ गिट्टी/बैलास्ट/सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन मोरम/ बालू/मिट्टी।	8000.00	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन)खण्डास/बोल्डर्स/बजरी / गिट्टी/बैलास्ट/ सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन मोरम/ बालू/मिट्टी।	16,000.00
4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो।	20,000.00	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो ।	40,000.00

3. अधिसूचना संख्या 2390/VII-2-09/24-ख/2007. दिनांक 05 अक्टूबर 2009 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2009 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

राकेश शर्मा प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः /62-/VII-I-13/24-ख/2007, तद्दिनांकित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमांयू, उत्तराखण्ड।
- 6. निदेशक, उद्योग/भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- 7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ८. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
 - 9. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए 100 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - 10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से. १कशन नाथ) अपर सचिव।